संख्या-84/2022/536/41-2022-47(बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 15 मार्च 2022

विषय- **जनपद मथुरा के गोवर्धन में स्थित भरनाखुर्द सूर्यकुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के पत्रांक-2267/मु0वृ0वि0प्रा0/2021-22 दिनांक 2-3-22 का कृपया अवलोकन करे जिसके माध्यम से संदर्भगत प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद मथुरा के गोवर्धन में स्थित भरनाखुर्द सूर्यकुण्ड का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु** नामित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 494.24 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 247.69 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-142/ 2018/2488/41-2018-47(बजट)/2018 दिनांक 27-8-2018 द्वारा निर्गत की गई थी। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि रू0-246.55 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है परन्तु तत्समय इस प्रायोजना हेतु स्वीकृत मूल लागत के विवरण के सापेक्ष टेण्डर्ड लागत एवं उसके आधार पर प्रत्येक मद का वास्तविक व्यय विवरण सहित परीक्षणोपरान्त अवमुक्त होने योग्य अवशेष धनराशि का प्रस्ताव नहीं उपलब्ध कराया गया। उक्त के दृष्टिगत प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-105.66 लाख (रू0- एक करोड पांच लाख छाछठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-57/2022/369/41-2022-47(बजट)/2018 दिनांक 24-2-22 द्वारा इस शर्त अवमुक्त की गई कि प्रायोजना की अंतिम किश्त की मांग करते समय प्रत्येक दशा में प्रायोजना की मूल लागत के विवरण एवं उसके सापेक्ष टेण्डर्ड लागत व उसके आधार पर प्रत्येक मद का वास्तविक व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुये उक्त के आलोक में अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुख्य कार्यपालक अधिकारी मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यय विवरण से यह विदित हो रहा है कि सिविल कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-362.10 लाख के सापेक्ष निविदा लागत रू0 321.51 लाख के क्रम में विचलन करते हुये रू0-353.33 लाख के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। विद्युत कार्य में कोई विचलन नहीं किया गया है। विचलन के उपरान्त अन्य व्यय मदों में हुआ व्यय भी दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रायोजना के मूल कार्यों से विचलन के उपरान्त कौन से कार्य कराये गये/कौन से छोडे गये और कौन से परिवर्तित हुये यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में तुलनात्मक विवरण सहित विचलन सहित पुनरीक्षित आगणन प्राप्त होने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पायेगी। इस परियोजना का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है जिससे यह

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्पष्ट है कि प्रायोजना का पुनरीक्षण कराये जाने के बजाय मूल स्वीकृत कार्यों से विचलन करते हुये कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं उक्त स्थिति में ऐसे विचलन के फलस्वरूप प्रायोजना का पुनरीक्षण किये जाने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना की निविदा लागत रू0-321.51 लाख + रू0-35.34 लाख (विद्युत कार्य) अर्थात़ कुल निविदा लागत रू0-356.85 लाख के आधार पर 02 प्रतिशत कन्टीजेन्सी- रू0-7.14 लाख /आर्किटेक्ट फीस (1.5 प्रतिशत) रू0-5.35 लाख /जी0एस0टी0 12 प्रतिशत रू0-42.82 लाख के आधार पर आगणित प्रायोजना की कुल लागत रू0-412.16 लाख की सीमा तक धनराशि में से लाइबिल्टीज अवधि हेतु 05 प्रतिशत धनराशि को रोककर प्रायोजना की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0-40.97 लाख (रू0 चालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) को श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था से उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार तुलनात्मक विवरण सहित पुन: पुनरीक्षित आगणन एक सप्ताह के अंदर प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपरोक्त प्रस्तर-4 में अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित/अवमुक्त करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-142/2018/2488/41-2018-47(बजट)/2018 दिनांक 27-8-2018 एवं शासनादेश सं0-57/2022/369/41-2022-47(बजट)/2018 दिनांक 24-2-22 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्रापत किये जायेंगे। उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रस्तर-4 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
5- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।